ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST | Vol. 2 | Issue 1 | January 2024
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v2i1.32

ग्राम पंचायत में दलित महिला प्रधान की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन गोरखपुर जनपद के संदर्भ में

कविता[1], डॉ0 राम समुझ सिंह[2]

[1]शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
[2]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा
[1]**Email:** kisukavita7@gmail.com

शोध सारांश :

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है जो स्थानीय क्षेत्रों का विकास तथा समस्याओं का समाधान करता था। समय के साथ इसके प्रकार्यों में परिवर्तन होता रहा है।

वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था वह संस्था है जो सामान्य स्थानीय जनता के प्रशासन के लिए होता है। यह संस्था स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय जनसाधारण द्वारा चुने गये सदस्यों द्वारा होता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण दलित महिला प्रधानों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

शब्द संकेत : ग्राम पंचायत, महिला, आरक्षण, दलित महिला, महिला प्रधान, महिला नेतृत्व, पंचायत राज व्यवस्था, महिला सहभागिता।

परिचय :

पंचायत राज हिन्दी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ''पंचायत'' तथा ''राज'' शासन अर्थात् ''पाँच जन प्रतिनिधि के समूह द्वारा शासन''। पंचायती राज संस्था भारत की एक मजबूत संस्थाओं में से एक माना जाता है। वर्तमान समकालीन समय में यह सबसे प्रभावशाली तथा शक्तिशाली संस्था बनकर विकसित हो रहा है।

पंचायतराज का इतिहास :

पंचायत का इतिहास काफी पुराना है यह व्यवस्था वैदिक काल से ही चली आ रही है वैदिक काल में गाँवों को व्यवस्थित रखने के लिए एक मुखिया होता था जिसे 'ग्रामिणी' कहा जाता था जो चौपालों में बैठकर चर्चा करते थे तथा इन चर्चाओं में सभी स्थानीय नागरिक इन सभाओं में भाग लेते थे। ग्रामिणी द्वारा किये गये फैसले अन्तिम फैसले होते थे और इनका पालन सबको करना पड़ता था।

गुप्तकाल में ग्राम पंचायत का अत्यधिक महत्व था उस समय राजवंशी प्रणाली हुआ करती थी जिसमें ग्रामीण मामलों के लिए 'सोपानिक पंचायती' व्यवस्था विद्यमान थी।

ब्रिटिशकाल में इस व्यवस्था में परिवर्तन किये गये। पंचायतों का प्रथम परिवर्तन 1773 में हुआ और धीरे–धीरे न्यायालयों की स्थापना होने से ग्राम पंचायतों के अधिकार शून्य हो गये। 1910 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय तत्कालीन सरकार के समक्ष ग्राम पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की गई तथा अथक प्रयास के बाद 1920 में मद्रास में पंचायत कानून बना तथा धीरे–धीरे भारत में कई प्रान्तों में पंचायत सम्बोधित अधिनियम बनने शुरु हो गये। जैसे–

बंगाल स्थानीय अधिनियम 1919
मद्रास स्थानीय सरकार अधिनियम 1920
बम्बई उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1920
बिहार सरकार अधिनियम 1926
पंजाब पंचायत अधिनियम 1922
असम स्वसरकार अधिनियम 1925
मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में इस व्यवस्था की ओर ध्यान गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को स्थान दिया गया। तथा अनुच्छेद 40 में इसका विवरण दिया गया।

1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं के समाधान व अध्ययन करने के लिए बलवन्त राय मेहता समिति का सुझाव दिया गया तथा 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों से पं0 जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया।

इस समिति के सिफारिशों के अनुसार पंचायतराज व्यवस्था को त्रिस्तरीय भागों में विभाजित किया गया–

ग्राम स्तर पर ''ग्राम पंचायत''

खण्ड स्तर पर ''पंचायत समिति''

जिला स्तर पर ''जिला परिषद''

नवीन पंचायतीराज व्यवस्था :

73वें संविधान के रूप में 23 अप्रैल 1993 में सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसमें महिलाओं के लिए सभी स्तरों में एक–तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान, स्वतंत्र चुनाव, राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य वित्तीय आयोग का गठन, निश्चित कार्यकाल, विभिन्न दायित्व व अधिकार का प्रावधान सम्मिलित है।

73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरान्त होता है। पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 मई, 1997 को सार्वजनिक वितरण सहित 15 विभागों की स्थापना की इन विभागों से सम्बन्धित जिले के अधिकारी पंचायत अधीन होते हैं।

आरक्षण :

आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तथा समाज में समानता लाता है एवं सबको समान अवसर देकर समाज सुसंगठित करता है। भारतीय संविधान में आरक्षण महिला, जातीय, आधार पर दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में कुल पदों में एक तिहाई भाग महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है कुछ राज्यों 50% आरक्षण मिला है जिसमें केवल महिला वार्ड से महिला प्रतिनिधित्व कर सकती है तथा महिला पुरुष वार्ड से भी चुनाव लड़ सकती है।

पंचायत राज तथा महिलाए :

महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए वरदान जैसा है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इसी संस्था से महिलाए समाज में अपनी महत्वपूर्णता को दर्शा पा रही हैं तथा एक विशेष सदस्य के रूप में निखर रही हैं वह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में समान सहयोग दे रही है। जिससे ग्रामीण समाज का विकास सम्भव हो पा रहा है। तथा महिलाओं का सशक्तिकरण हो पा रहा है पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से महिलाएं बढ़चढ़कर भाग ले रही हैं।

इसके नकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो महिलाओं को 33% तथा कहीं कहीं 50% आरक्षण प्राप्त होने के कारण भी वह कोई कारगर कार्यों को करने पर संशय नहीं है। तथा वह पुरुषों से बहुत पिछड़ी हुई है। पुरुष सत्तात्मक होने के कारण महिलाएं नाममात्र प्रधान बनती हैं। उन्हें केवल हस्ताक्षर के लिए जाना जाता है पंचायती सम्बन्धित कार्य महिला के पति अर्थात् प्रधानपति द्वारा किया जाता है।

दलित महिलाओं पंचायती राज के माध्यम से उनको सशक्त करने के लिए नई योजना, कार्यक्रम के द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है। जो एक 'मील का पत्थर' साबित हो रहे। महिला को सशक्त बनाने का कारण उनके जीवन स्तर में पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है तथा वह परिवार के साथ–साथ समाज के विकास में सहायक सिद्ध हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य दलित महिला प्रधानों के वास्तविक भूमिका का स्पष्ट करना है प्रस्तुत शोध पत्र में दलित महिला प्रधानों के अधिकारों को स्पष्ट करना है तथा ग्राम पंचायत में इनकी योगदान तथा भूमिका का अध्ययन करना है।

1– पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिला प्रधानों के जागरूकता को स्पष्ट करना

2– पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिला प्रधान की भूमिका को स्पष्ट करना।

3– पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिला प्रधान की प्रस्थिति को स्पष्ट करना।

1–राकेश शर्मा 'निशीथ' :

इन्होंने ''पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका'' नामक लेखक लिखा। जिसमें इन्होंने लिखा है कि सामाजिक–आर्थिक रुकावटों के कारणवश महिलाओं के पास शक्ति होने के कारण भी वह अभी समाज में निम्न दर्जा प्राप्त की हैं राजनैतिक क्रियाओं में इनकी भूमिका वास्तविक नहीं है।

इन्होंने लिखा है कि कमजोर वर्ग की महिला प्रतिनिधि वित्तीय समस्या के समाधान हेतु कृषि कार्य या मजदूरी करना पड़ता है। पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, रीति रिवाज, परम्परा इत्यादि के कारण महिलाएं आज भी विकास के लिए पूर्ण रूप से सहभागी नहीं पाती है। जातिवादिता होने के कारण दलित महिला प्रधान पंचायत बैठकों में सहभागी नहीं हो पाती है।

2–डॉ0 विमला आर्या :

इन्होंने लिखा है कि बाड़मेर जिले में रुढ़िवादिता, घूंघट प्रथा और इन सबसे अशिक्षा महिला प्रतिनिधि के लिए एक अभिशाप के रूप में है महिला सरपंचों के पति व उनके रिश्तेदार उनके लिए सहारा हैं। पद पाकर वह अपने को गौरवान्वित मानती हैं परन्तु, वह अशिक्षित होने के कारण स्त्री शिक्षा की पूर्णतः समर्थक हैं। महिला प्रतिनिधियों की ग्राम पंचायतों में सहभागिता सार्थक करने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है।

3–राजनाथ सिंह सूर्य :

इन्होंने ''महिला आरक्षण की राजनीति'' शीर्षक में स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल महिला आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं पंचायतों की तरह विधानसभा तथा लोकसभा में पिछड़े वर्ग की महिला तथा मुस्लिम महिला के लिए मुस्लिम सांसदों ने पहली बार आरक्षण की मांग की।

4–राजेश कुमार केसरी :

यह लिखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को ध्यान केन्द्रित किया जाए तो दलित महिला तथा कमजोर वर्ग सशक्तीकरण के प्रयास कर रही है। 73वॉ संविधान संशोधन को एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का जिम्मेदारी सौंपी गई जबकि इस संस्था ने महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई सीट भी आरक्षित हुई।

शोध–प्रारूप :

प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का चयन किया गया है, यहाँ कुल 1354 ग्राम पंचायत हैं प्रस्तुत शोध कार्य में समग्र ग्रामीण दलित महिलाओं का अध्ययन सम्भव नहीं है इसलिए प्रतिदर्श के रूप में 150 दलित महिला प्रधान चयन करके पंचायती राज में इनकी वास्तविक भूमिका का अध्ययन किया गया। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक स्रोतों साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से दलित महिलाओं का साक्षात्कार किया गया है तथा द्वितीय स्रोत में उपलब्ध पुस्तकें, रिकार्ड, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दलित महिला प्रधानों से उनकी शैक्षिक स्थिति जानने का प्रयास किया है कि वह कितनी शिक्षित हैं।

सारिणी 1

दलित महिला प्रधान की शैक्षिक दशा

शैक्षिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	135	90
माध्यमिक	10	6.66
स्नातक	05	3.33
योग	**150**	**100**

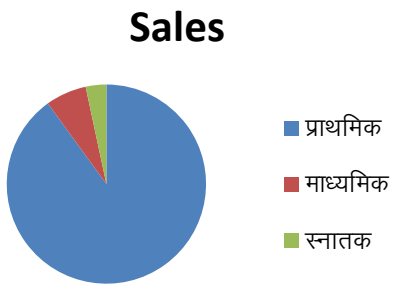

उपर्युक्त सारणी 1 से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत दलित महिला प्रधान प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। 6.66 प्रतिशत दलित महिलाएं माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं जबकि 3.33 प्रतिशत ही दलित महिला प्रधान स्नातक स्तर तक शिक्षित हैं। अतः स्पष्ट है कि दलित महिला प्रधानों में शैक्षणिक स्थिति काफी निम्न है जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि दलित महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। शैक्षणिक स्थिति निम्न होने के कारण यह जानना आवश्यक हो गया कि वह अपने अधिकारों को जानती हैं तथा वह कितनी जागरूक है।

सारिणी–2

दलित महिला प्रधानों की अपने अधिकारों प्रति जागरूकता

अधिकारों के प्रति जागरूकता	संख्या	प्रतिशत
जागरूक	30	20
अनजान	50	33.33
तटस्थ	70	46.66
योग	**150**	**100**

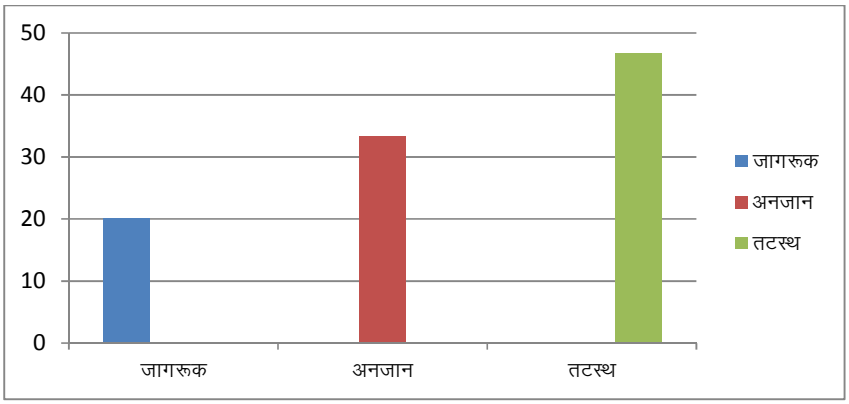

उपुर्यक्त सारिणी 2 में स्पष्ट है कि दलित महिला प्रधान मात्र 20 प्रतिशत ही ऐसी है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। 33.33 प्रतिशत महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान हैं जबकि 46.66 प्रतिशत महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ रही। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अल्पशिक्षित होने के कारण दलित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है वह थोड़ा बहुत उसकी जानकारी रखती है। उनकी यह स्थिति सोचनीय परिस्थिति उत्पन्न करती है जो समाज के विकास में बाधक बन सकता है अतः यह जानकारी लेना आवश्यक हुआ कि दलित महिलाएं सामाजिक विकास में समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है।

सारिणी 3

दलित महिला प्रधानों की सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण

सामाजिक परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	85	56.66
निम्न	05	3.33
पूर्ववत्	60	40
योग	**150**	**100**

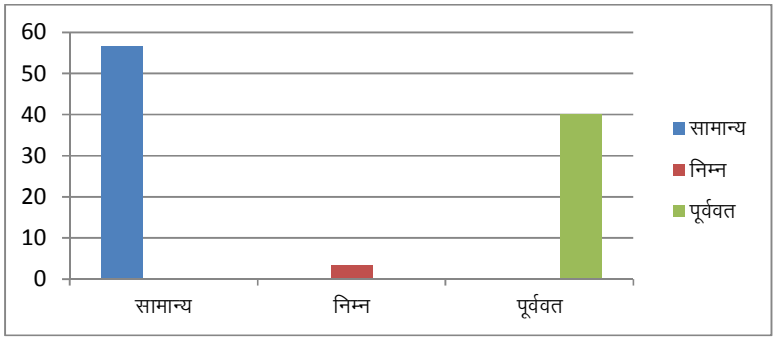

उपर्युक्त सारिणी 3 में स्पष्ट है कि 56.66 प्रतिशत दलित महिला प्रधान उनके समाजिक परिवर्तन के प्रति विचार सामान्य रहा तथा 3.33 प्रतिशत निम्न बताया जबकि 40 प्रतिशत महिला प्रधानों ने स्वीकार किया कि परिवर्तन पूर्ववत् ही है। अतः स्पष्ट होता है। प्रधान बनने से दलित महिला प्रधानों की सामाजिक स्थिति में पहले से कुछ परिवर्तन आये हैं। अब समाज में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है परन्तु कहीं–कहीं उनकी स्थिति पूर्व में जैसा था वैसा ही है उनकी स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। अतः दलित महिलाओं से यह जानना आवश्यक हुआ कि सामाजिक परिवर्तन होने से समाज में दलितों के साथ भेदभाव की स्थिति कैसी है।

सारिणी 4

भेदभाव के प्रति दलित महिला प्रधानो का दृष्टिकोण

भेदभाव	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतः	40	26.66
अंशतः	100	66.66
नहीं	10	6.66
योग	**150**	**100**

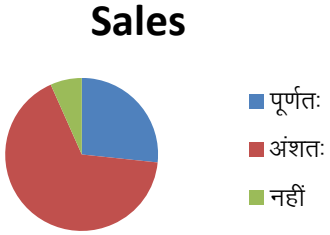

उपर्युक्त सारिणी 4 में स्पष्ट है कि 26.66 प्रतिशत दलित महिलाओं ने स्वीकार किया कि पूर्णरूप से भेदभाव किया जाता है तथा 66.66 प्रतिशत महिलाओं ने आंशिक रूप से स्वीकार किया जबकि 6.66 प्रतिशत महिला ने बताया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में पूर्ण रूप से ज्यादा तो नहीं परन्तु आंशिक रूप से भेदभाव की स्थिति समाज में उपस्थित है। यह भेदभाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुछ स्थानों में यह भेदभाव कम होता नजर आ रहा है। अतः दलित महिला प्रधानों से यह जानकारी लेना आवश्यक हुआ कि भेदभाव की स्थिति विद्यमान होने से क्या वह पद सम्बन्धी मामलों में उनसे निर्णय लिया जाता है।

सारिणी 5

दलित महिला प्रधानों का निर्णय लेने की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण

निर्णय लेने में सहमति	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतः	10	6.66
नहीं	60	40
अंशतः	80	53.33
योग	**150**	**100**

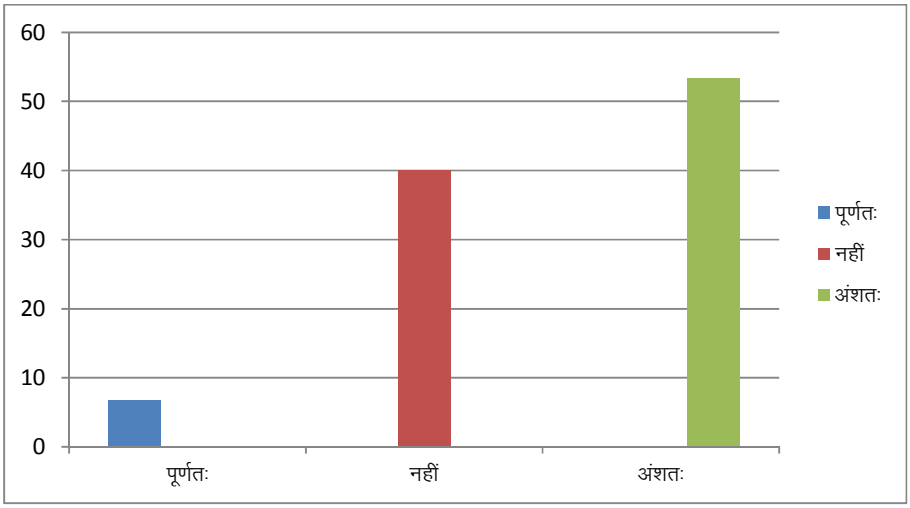

उपर्युक्त सारिणी 5 से स्पष्ट है कि मात्र 6.66 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनसे निर्णय में पूर्ण रूप से सहमति ली जाती है तथा 40 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनसे सहमति नहीं ली जाती जबकि 55.33 प्रतिशत महिला प्रधानों ने स्वीकार किया कि उनसे निर्णय लेने की सहमति आंशिक है। अतः स्पष्ट है कि आज भी दलित महिलाओं को कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से नहीं लेने दिया जाता है यह निर्णय या तो उनके पति या सामन्त वर्ग के लोग लेते हैं दलित महिला प्रधान मात्र कागजों में सिमट कर रह जाती हैं।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि दलित महिला प्रधानों में शैक्षणिक स्थिति दयनीय होने के कारण समकालीन में उनको प्राप्त जो अधिकार हैं उनसे वह अभी पूर्ण रूप से रूबरू नहीं हुई हैं जो बदलते परिवेश में समायोजन करने में कठिनाई सा लगता है। जिससे वह आज भी पिछड़ी हुई दिख रही है। वह प्रधान होने पर भी उनको पुरुषों तथा सामन्त वर्ग के समान, सम्मान व अधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें दलित होने के कारण कहीं ना कहीं दबाया जाता है। अतः वह मात्र कागजों में प्रधान बनकर रह जाती है। उनके अन्दर अभी भी यह सोच है कि वह दलित है तथा महिला है इसलिए वह पुरुष वर्ग तथा सामन्त वर्ग से कमजोर है तथा वह उनके ही निर्णय से अपने कार्या को गति देती है।

सन्दर्भ सूची :–

[1]. शर्मा, बिहारी, डॉ0 सवालिया, ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाएं, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन
[2]. पंचायती राज डिपार्टमेंट यूपी
[3]. पीयूष, जगदीश, राजीव गांधी और पंचायती राज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2008
[4]. Panchaytiraj upnic.in
[5]. भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 2012
[6]. शर्मा, प्रेमनारायण, विनायक, V, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेंटर, 2011

Cite this Article

कविता, डॉ0 राम समुझ सिंह, "ग्राम पंचायत में दलित महिला प्रधान की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन गोरखपुर जनपद के संदर्भ में", *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 2, Issue 1, pp. 11-16, January 2024.*

Journal URL: *https://ijmrast.com/*
DOI: *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v2i1.32*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.